रजिस्ट्री संख्या डी एल-33001/92

REGISTERED NO. DL-33001/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 11, 1992 (आषाढ़ 20, 1914)

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 11, 1992 (ASHADA 20, 1914)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	605
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	687
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	11
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1141
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	709
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . .	857
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .	2867
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस .	105
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाला अनुपूरक .	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	605
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	687
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	11
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1141
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . .	709
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . .	857
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2867
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	105
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I--SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 1992

सं० 87-प्रेज/92—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री मोहम्मद अब्दुल काबी,
पुलिस निरीक्षक,
मुंबई ।

श्री जय सिंग शिवाजी राव पाटिल,
पुलिस निरीक्षक,
मुंबई ।

श्री श्याम राव बाबूराव जेधे,
पुलिस निरीक्षक,
मुंबई ।

श्री संजय वासुदेव जम्मूलकर,
पुलिस निरीक्षक,
मुंबई ।

श्री प्रकाश मेमेन जार्ज,
पुलिस उप-निरीक्षक,
मुंबई ।

श्री पासकल लारेंस डिसूजा,
पुलिस उप-निरीक्षक,
मुंबई ।

श्री इकराल हसन शेख,
पुलिस उप-निरीक्षक,
मुंबई ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 4 मार्च, 1991 को विश्वस्त सूत्र से सूचना प्राप्त हुई कि दाउद इब्राहिम गिरोह के ठेके पर हत्या करने वाले दो खूंखार मुख्य हत्यारे, नामत. राम चन्द्र उर्फ बच्ची तथा गैबीरियल उर्फ बाबा को दिलीप बुलचन्दानी नामक उद्योगपति ने दूसरे लोगों से बड़ी मात्रा में अपना धन वसूल करने के लिए अनुबंधित किया है ।

इस सूचना के प्राप्त होते ही दिलीप बुलचंदानी की पूर्वी अंधेरी स्थित कालब्रो पालिस्टर लिमिटेड कम्पनी के लिए चार पुलिस निरीक्षकों और तीन पुलिस उप-निरीक्षकों का एक दल रवाना हो गया । इस बात का बहुत ध्यान रखा गया कि गिरोह वालों तथा दिलीप बुलचंदानी को पुलिस कार्रवाई के बारे में पता न चले । इस लिए केवल दो अधिकारी ही बुलचंदानी के कार्यालय में व्यापारिक कार्य के बहाने से गए तो वहां उन्होंने बुलचंदानी के साथ दो गिरोह के सदस्यों को बैठे देखा । पकड़े जाने का आभास होते ही, गिरोह के एक सदस्य ने एक भरा हुआ रिवाल्वर तथा अन्य ने एक पिस्तोल निकाल लिया जो कि उन्होंने अपने पास छिपा कर रखे थे परन्तु इससे पहले कि वे अपने अग्नेयास्त्रों का प्रयोग कर पाते, गैबरियल पर सर्वश्री एम० बी० जेधे, पुलिस निरीक्षक तथा पी० एम० जार्ज, पुलिस निरीक्षक, द्वारा अपनी जान जोखिम में डाल कर काबू पा लिया गया तथा उनके शस्त्रों को छीन लिया गया । इसके साथ-साथ, अपनी जान की चिंता न करते हुए सर्वश्री एम० ए० काबी, पुलिस निरीक्षक तथा आई० एच० शेख, पुलिस उप निरीक्षक ने बच्ची पाण्डे को काबू कर निशस्त्र कर दिया । उसने पंचों के समक्ष यह बयान दिया कि दिलीप बुलचन्दानी ने उसे और उसके पांच साथियों को पश्चिमी खार स्थित होटल शीतल में डाका मारने और उसके मालिक को बंधक बना कर 30 लाख रु० वसूल करने, जो कि होटल के मालिक से बुलचन्दानी ने वसूल करने थे, के लिए अनुबंधित किया गया था । योजना को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से वे योजना की बारीकियों को अंतिम रूप देने के लिए वहां एकत्र हुए थे तथा उनके सहयोगियों को खार स्थित एक दर्जी की दुकान पर प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया था । उनके सहयोगी रिवाल्वर, छोटी स्टेनगन और खीन में बने दो बमों से लैस थे । इस रहस्योद्घाटन के बाद पुलिस दल कालब्रो पालिस्टर लिमिटेड से खार के लिए सुरन्त रवाना हो गया । इस बीच बच्ची पाण्डे के एक सहयोगी ने मारुति गाड़ी में भागने की कोशिश की परन्तु श्री एस० एम० जम्मूलकर, पुलिस निरीक्षक और श्री पी० एल० डिसूजा, पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा उसे पकड़ लिया गया । खार पहुंचने पर बच्ची पाण्डे पुलिस दल को दर्जी की दुकान पर ले गया । पुलिस को देखते ही दुकान में प्रतीक्षा कर रहे बच्ची पाण्डे के तीन सहयोगियों ने रिवाल्वर निकाल लिए परन्तु निरीक्षकों के साथ श्री जे० एम० पाटिल, तथा श्री जम्मूलकर और श्री पी० एल० डिसूजा पुलिस उप-निरीक्षक ने उन पर काबू पाकर उन्हें निहत्था कर दिया । उन तीन में से एक के कंधे पर लटका थैला, जिसमें अग्नेयास्त्र और विस्फोटक सामग्री थी, भी जब्त कर ली गई ।

इस प्रकार सात अधिकारियों के इस पुलिस दल ने गिरोह के कुल सात उग्र और खूंखार सदस्यों सहित बुलचन्दानी को एक सहज और त्रुटि-रहित अभियान में गिरफ्तार कर लिया तथा 5 विदेशी रिवाल्वरों,

एक छोटी स्टेनगन, 2 चीन में बने बम, 3 खाली और 68 भरे हुए कारतूस बरामद किए ।

इस मुठभेड़ में श्री मोहम्मद अब्दुल कावी, पुलिस निरीक्षक, श्री जयसिंग शिवाजी राव पाटिल, पुलिस निरीक्षक, श्री श्याम राव चाबूराव जेधे, पुलिस निरीक्षक, श्री संजय वासुदेव जम्भूलकर, पुलिस निरीक्षक, श्री प्रकाश मेमेन जार्ज, पुलिस उप-निरीक्षक, श्री पासकल लारेंस डिसूजा, पुलिस उप-निरीक्षक और श्री इकबाल हसन शेख, पुलिस उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 मार्च, 1991 से दिया जाएगा ।

ए०के० उपाध्याय

निदेशक

सं० 88-प्रेज/92—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री हरजीत सिंह

पुलिस उप-निरीक्षक,

थाना सुल्तापुर लोदी ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 19 दिसम्बर, 1990 को उप-निरीक्षक हरजीत सिंह, थाना प्रभारी, थाना : सुल्तानपुर लोधी, अन्य पुलिस/सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों सहित गांव शेख मांगा, थाना : सुल्तानपुर लोदी, क्षेत्र में तलाशी अभियान पर थे । उन्होंने दारा सिंह नामक-एक व्यक्ति के घर के निकट कुछ संदिग्ध व्यक्तियों ने को संदिग्ध अवस्था में पाया । पुलिस को देखते ही, संदिग्ध व्यक्तियों ने एक कच्चे मकान में मोर्चे सम्भाल लिए और अत्याधुनिक हथियारों से सुरक्षा कार्मिकों पर भीषण गोली-बारी करनी आरंभ कर दी । श्री हरजीत सिंह तथा अन्य पुलिस कार्मिकों ने कच्चे मकान की दीवार की आड़ लेकर आत्म-सुरक्षा में जवाब में गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप दो आतंकवादी घायल होकर जमीन पर गिर गए और बाद में घावों के कारण मर गए । सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल सुनील कुमार द्वारा एक अन्य आतंकवादी को मार दिया गया । दोनों ओर से गोली-बारी के दौरान उनको गोली लगने से घाव हो गए और श्री सुनील कुमार को अस्पताल ले जाया गया ।

उसके बाद, सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों ने आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने पर हथगोले फैंके परन्तु आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चलाना जारी रखा । तब श्री हरजीत सिंह अन्य पुलिस कार्मिकों सहित रेंगते हुए आगे बढ़े तथा पास में खड़े बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर पर चढ़ने में सफल हो गए । उन्होंने घर की छत में छेद किए और घर के अन्दर हथगोले फैंके जिसके परिणामस्वरूप घर के सामान में आग लग गई तथा कच्चा मकान ढह गया । मुठभेड़ करीब तीन घंटे तक चली । तलाशी लेने पर आतंकवादियों के पांच शव बरामद किए गए जिनमें से चार की शिनाख्त बाद में बलदेव सिंह उर्फ देवा, रछपाल सिंह उर्फ पम्मा, सुरजीत सिंह उर्फ पेंटा तथा इंद्रजीत सिंह के रूप में हुई । ये अनेकों घृणित अपराधों में शामिल थे । तलाशी लेने पर एक ए० के० -94 असाल्ट राइफल, 3 ए० के०—47 असाल्ट राइफलें तथा बड़ी मात्रा में गोला बारूद मुठभेड़ स्थल से बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री हरजीत सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृति भत्ता भी दिनांक 19 दिसम्बर, 1990 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय

निदेशक

सं० 89-प्रेज/92—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री दर्शन कुमार,

पुलिस उप-अधीक्षक,

दसूया सब-डिवीजन ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 29 मई, 1991 को श्री दर्शन कुमार, पुलिस उप-अधीक्षक, दसूया, को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ कट्टर आतंकवादी जो कि अच्छी तरह हथियारों से लैस हैं, बगाहा गांव, थाना : दसूया, में एक कपूर सिंह नामक व्यक्ति के घर में छिपे हुए हैं तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर गोली-बारी करने की योजना बना रहे हैं ताकि उन पर दसूया सब-डिवीजन छोड़ कर जाने के लिए दबाव डाला जा सके । श्री दर्शन कुमार उपलब्ध बल सहित घटनास्थल की ओर रवाना हो गये । उन्होंने दसूया, टाण्डा में मौजूद बल और अर्ध-सैनिक बलों को घटनास्थल पर पहुंचे जाने के लिए सिगनल संदेश भी भेज दिया । वहां पहुंचने पर, उन्होंने पूरे गांव को घेर लिया । कुछ सुरक्षा कार्मिकों को लेकर श्री दर्शन कुमार, कपूर सिंह के घर गए और आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए चेतावनी दी । इस पर घर में ऊपर की मंजिल पर छिपे आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से पुलिस दल पर गोलियां चलानी आरम्भ कर दी । दर्शन कुमार ने पुलिस दल को आत्म-सुरक्षा में गोली चलाने के निर्देश दिए । इस बीच जिला पुलिस और अर्ध-सैनिक बल भी वहां पहुंच गए और उन्होंने घेरे को मजबूत कर दिया । अचानक उग्रवादियों ने पुलिस बल को बड़ी संख्या में वहां पहुंचते देख कर वहां से बच कर भाग निकलने के प्रयास में पुलिस दल पर एच० ई०-36 हथगोले फैंकने आरम्भ कर दिए। श्री दर्शन कुमार इससे विचलित नहीं हुए और अपने नियंत्रणाधीन पुलिस दल द्वारा उग्रवादियों पर भीषण गोली बारी करके उनको उलझाए रखा। उग्रवादियों द्वारा फैंके गए हथगोलों के फटने से विशेष पुलिस अधिकारी सर्वश्री राजकुमार, राजवीर सिंह, और पंजाब सशस्त्र पुलिस (पी० ए० पी०) के कांस्टेबल गुलजिंदर सिंह घायल हो गए। चूंकि पुलिस द्वारा एक घंटे के अभियान के दौरान की गई गोली-बारी कारगर साबित नहीं हुई, श्री दर्शन कुमार अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना ऊपरी मंजिल की खिड़की के समीप दूसरी ओर से ऊपर चढ़कर गए। एक के बाद एक छः हथगोले खिड़की के अन्दर फैंके। श्री दर्शन कुमार का यह अत्यन्त दुस्साहसिक कार्य उग्रवादियों की बंदूकें शांत करने में बेहद सफल रहा। इसके साथ-साथ, सीमासुरक्षा बल ने भी दूसरी ओर से हथगोले फैंके।

उसके बाद उग्रवादियों की ओर से होने वाली गोली-बारी थम गई। खोजबीन के दौरान तीन अज्ञात उग्रवादियों के शव बरामद हुए। तलाशी लेने पर मुठभेड़ स्थल से एक ए० के०-47 राइफल, एक चीन में निर्मित माउजर तथा बड़ी मात्रा में खाली/बिना चले कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री दर्शन कुमार पुलिस उप-अधीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 29 मई, 1991 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय

निदेशक

सं० 90-प्रेज/92—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जसवन्त सिंह,
हैड कांस्टेबल, (मरणोपरांत)
143वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

8 सितम्बर, 1991 को पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों ने भटिंडा जिले के माउजिया गांव के क्षेत्र में संयुक्त रूप से तलाशी लेने के कार्य की एक योजना बनाई। इस बात की पक्की सूचना थी कि उस क्षेत्र में आतंकवादियों का एक गिरोह सक्रिय था। संदिग्ध फार्म हाऊस तथा ट्यूबवैल बिल्डिंग की योजनाबद्ध ढंग से तलाशी शुरू की गई। लगभग 0900 बजे आतंकवादियों ने कपास के खेतों से अचानक गोली चलानी शुरू कर दी। सीमा सुरक्षा बल तथा पुलिस कार्मिकों ने कपास के खेतों को चारों ओर से तुरन्त घेर लिया। अन्य कार्मिकों सहित हैड कांस्टेबल जसवन्त सिंह ने मोर्चा संभाला और आतंकवादियों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर जसवन्त सिंह रेंगते हुए उस स्थान की ओर गए जहां से गोलियां चल रही थीं। उन्होंने कपास के खेतों से आतंकवादियों के पदचिन्हों का पता लगाया और आतंकवादियों के संदिग्ध स्थान तथा दिशा के बारे में अपने कमांडर को सूचित किया। वे आतंकवादियों के निकट पहुंचने वाले ही थे कि इतने में आतंकवादियों ने श्री जसवन्त सिंह पर गोलियों की बौछार कर दी, परन्तु सौभाग्यवश वे घायल होने से बच गए। निकट दूरी से किए जा रहे इस नृशंस हमले का निर्भीक होकर मुकाबला करते हुए श्री जसवन्त सिंह बड़ी चतुरता से रेंगते हुए उस स्थान की ओर आगे बढ़ते रहे जहां से आखिरी बार गोलियों की बौछार आई। एक आतंकवादी अचानक कपास की फसल के खेत में खड़ा हो गया और जसवन्त सिंह के आमने-सामने आ गया। मोर्चा लेने के लिए किसी स्थान या आड़ के संभव नहीं होने के कारण श्री जसवन्त सिंह तथा आतंकवादी दोनों ने लगभग साथ-साथ एक दूसरे पर गोली चलाई तथा दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस प्रकार श्री जसवन्त सिंह ने अकेले ही एक खूंखार आतंकवादी को समाप्त कर दिया और इस प्रक्रिया में कर्तव्यपरायणता की वेदी पर अपना जीवन बलिदान कर दिया।

श्री जसवन्त सिंह के वीरतापूर्ण कार्य को देखते हुए घेरा लगाने तथा तलाशी लेने वाले दल ने आतंकवादियों पर भारी गोली-बारी शुरू कर दी। दोनों ओर से गोली चलने के दौरान दो आतंकवादी मारे गए। तलाशी के दौरान मुठभेड़ वाले स्थान से 1 ए० के०-47 राइफल, एक 7.62 एम० एल० आर०, एक .455 रिवाल्वर, एक .38 बोर रिवाल्वर, एक हैण्ड ग्रेनेड तथा बड़ी मात्रा में सक्रिय/खाली कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री जसवन्त सिंह हैड कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 सितम्बर, 1991 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

सं० 91—प्रेज/92—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राजपाल सिंह,
हैड कांस्टेबल,
41वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया

29 अक्तूबर, 1990 को लगभग 14.30 बजे खम्मानों स्थित सीमा सुरक्षा बल चौकी को पुलिस थाना खम्मानों के अधीन ग्राम बारवाली पर घात लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक, प्रचालन, लुधियाना से निर्देश प्राप्त हुए क्योंकि बराड़ो पुल पर कुछ आतंकवादियों ने घात लगा रखी थी। हैड कांस्टेबल राजपाल सिंह ने बल की एक टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए लगभग 10 उग्रवादियों का पीछा किया, जिन्होंने ग्राम उन्छापिंड (मंगोल) के नजदीक मोर्चा संभाला हुआ था और जो सीमा सुरक्षा बल के दल पर सभी दिशाओं से गोलियां चला रहे थे। श्री राजपाल सिंह और उनके दल ने लगभग 3–4 किलोमीटर तक भाग रहे उग्रवादियों का तेजी से पीछा किया। भागते हुए उग्रवादियों ने खेतों में मोर्चा संभाला और सीमा सुरक्षा बल के दल पर गोली चलाई। श्री राजपाल सिंह बड़ी निपुणता से आगे बढ़े और उन्होंने आतंकवादियों के मोर्चे के स्थान से लगभग 100 गज की दूरी पर मोर्चा संभाला। अपने व्यक्तिगत बचाव और सुरक्षा की परवाह न करते हुए उन्होंने अपने ग्रुप को निर्देश दिया कि वे एक ओर से आतंकवादियों को उलझाए रखें और स्वयं चुपचाप दूसरी तरफ गए जहां से उन्हें यह महसूस हुआ कि आतंकवादी एक झाड़ी से गोलियां चला रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने देखा कि एक आतंकवादी आगे बढ़ रही टुकड़ियों को उलझाए हुए है। श्री राजपाल सिंह ने तुरन्त मोर्चा सम्भाला और अपनी मशीनगन से आतंकवादी पर गोलियों की एक राउंड बौछार कर दी और उसे तत्काल धराशायी कर दिया। झाड़ी में छिपे हुए दूसरे आतंकवादी ने श्री राजपाल सिंह को देखकर भागने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में श्री राजपाल सिंह पर भी गोली चलाने की कोशिश की। परन्तु श्री राजपाल सिंह ने बिजली की गति से इस आतंकवादी को भी मार गिराया। इसी बीच सीमा सुरक्षा बल के दूसरे दलों ने, जो एक ओर से आगे बढ़ रहे थे, तीन और आतंकवादियों को मार गिराया। मृत आतंकवादियों की बाद में जगजीत सिंह उर्फ जग्गा, रंजीत सिंह, ईश्वर सिंह, करम सिंह तथा नेतर सिंह के रूप में शिनाख्त की गई। तलाशी लेने के दौरान मुठभेड़ वाले स्थान से 3 ए० के०–47 राइफल, 2 पिस्तौल, एक 7.62 एम एम एस एल आर, पांच हीरोहांडा मोटर साइकिल तथा बड़ी मात्रा में गोलाबारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री राजपालसिंह हैड कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 29 अक्तूबर, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

सं० 92-प्रेज/92—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्न-लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एस० धरमराज,

कांस्टेबल,

89वी बटालियन,

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,

नकोदर, पंजाब ।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया

4 अगस्त, 1991 को लगभग 2000 बजे जब पुलिस स्टेशन बागोरैया के एस० एच० ओ० ग्रामीण क्षेत्र में गश्ती ड्यूटी दे रहे थे तो उन पर चाचरगड़ी रेलवे क्रासिंग के नजदीक गोली चलाई गई । उन्होंने अपने मार्ग-रक्षियों को आत्मरक्षा में गोली चलाने का आदेश दिया । अज्ञात व्यक्ति रेलवे पटरी के नजदीक, गन्ने के खेतों में बड़े नाले का और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए । 5-8-1991 को लगभग 0600 बजे चाचरगड़ी तथा सरवर गांवों के समीप ओ० सी० ई०-ई०/89 तथा ए० एस० ओ० गोरैया के पर्यवेक्षण तक में क्षेत्र की गहरी तलाशी की गई । हेड कांस्टेबल के कमांड में एक दल लघु नहर के आस-पास गन्ने के खेत में आतंकवादियों का पता लगाने तथा उन्हें नाकाम करने के लिए बड़ी निपुणता से आगे बढ़ा । श्री धरमराज को गन्ने के खेतों में दूसरी ओर कुछ गतिविधियां दिखाई दीं और उन्होंने अपने दल के कमांडर को संकेत दिया । कमांडर ने अपने कर्मचारियों को तुरंत मोर्चा लेने का आदेश दिया और गन्ने के खेत के एक कोने में छिपे हुए अज्ञात व्यक्तियों को ललकारा । आतंकवादी ने जो लगभग 20 गज की दूरी पर था, स्वचालित हथियारों से गोली चलानी शुरू कर दी और कांस्टेबल धरमराज के दायें बाजू के ऊपरी हिस्से में बीच में एक गोली लगी । गोली लगने से हुए जख्म से रक्त बहने के बावजूद वे निर्भीक और साहसपूर्ण ढंग से रेंगते हुए आगे बढ़े तथा उन्होंने अपनी एस० एल० आर० राइफल से आतंकवादियों पर गोली चलाई और उसे घटनास्थल पर ही मौत के घाट उतार दिया । श्री धरमराज को इलाज के लिए सिविल अस्पताल फिरोजपुर ले जाया गया । गन्ने के खेतों में गोलाबारी बंद होने के बाद उस क्षेत्र की तलाशी ली गई और एक आतंकवादी का शव बरामद किया गया, जिसकी बलजीत सिंह के रूप में शिनाख्त की गई जो एक कुख्यात आतंकवादी था और अनेक मामलों में उसकी तलाश थी । मृत आतंकवादी से एक राउंड सहित एक मैगजीन और एक विदेशी माउजर तथा 3 फायर केस बरामद किए गए । उस क्षेत्र से एक हीरो होंडा मोटर साइकिल भी बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री एस० धरमराज कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 अगस्त 1991 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 93/प्रेज/92-राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राम पाल सिंह,

पुलिस उप-अधीक्षक,

76वीं बटालियन ,

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 10 अक्तूबर, 1990 को श्री राम पाल सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक अपने सुरक्षा गार्डों के साथ पट्टी में एक प्रचालन सम्मेलन में भाग लेने के बाद खेमकरण स्थित अपनी कम्पनी को लौट रहे थे। करीब 1700 बजे जब वे दोआबा नहर के पुल संख्या 2 को पार कर के भूरा कोना गांव के निकट पहुंचे तो उन्होंने एक बस को खड़े पाया जिसमें यात्री बैठे हुए थे और बस की खिड़की से अपने हाथ बाहर निकाल कर संकेत कर रहे थे। पूछताछ करने पर पता चला कि उनकी बस को नहर के पुल पर तीन सशस्त्र आतंकवादियों ने रोक कर, खेमकरण गांव के श्री अमर नाथ कपूर का अपहरण कर उनको नाले के दूसरी ओर दूर ले गए थे। अपहृत व्यक्ति की जान को खतरा भांपते हुए श्री राम पाल सिंह ने श्री सुभा सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक खेमकरण को निर्देश दिया कि वह अपने साथियों और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के बल को साथ लेकर राजमार्ग के किनारे-किनारे जाएं। वह स्वयं दूसरे दल के साथ आतंकवादियों को रोकने के लिए नहर के रास्ते पर चल दिए। करीब 400 गज की दूरी तय करने पर उन्होंने पांच व्यक्तियों को खेतों में जाते देखा। आतंकवादियों का पीछा करने के लिए पुलिस दल अपने वाहन से नीचे उतर गया। इस दौरान, आतंकवादियों ने दोनों ओर से पुलिस दल को आते हुए देखा तो उन्होंने पुलिस कार्मिकों पर उनको मार डालने के उद्देश्य से स्वचालित हथियारों से गोली चलाई। पुलिस दल ने मोर्चा ले लिया, और तुरन्त आत्मसुरक्षा में जवाबी गोली चलाई। श्री राम पाल सिंह ने अपनी जान की सुरक्षा की परवाह किए बिना, अपने दो साथियों को साथ लेकर अन्तिम छोर तक भागते हुए गए और आतंकवादियों पर प्रभावकारी ढंग से गोली बारी की। पुलिस बल की इस तीव्र और साहसिक कार्रवाई से आतंकवादी हड़बड़ा गए और उन्होंने अपहृत व्यक्ति को मुक्त कर दिया, जो कि दौड़ कर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों की ओर आ गया और बचा लिया गया। श्री मोहन सिंह, निरीक्षक, भी कुमुक के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस दल ने आतंकवादियों का पीछा करना और उन पर दबाव बनाये रखना जारी रखा। श्री राम पाल सिंह ने श्री मोहन सिंह और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के पांच कांस्टेबलों के साथ एक मारक दस्ता बनाया, रेंगते हुए धान के खेत में आतंकवादियों के बहुत करीब पहुंच गए और स्वचालित हथियारों से गोली बारी करके क्षेत्र से आतंकवादियों का सफाया कर दिया। श्री राम पाल सिंह ने दो आतंकवादियों को मार डाला तथा तीसरे आतंकवादी को अपनी प्रभावकारी गोली-बारी से उलझाए रखा जिसको फिर श्री मोहन सिंह, निरीक्षक ने मार गिराया। इस मुठभेड़ में मारे गए तीन आतंकवादियों में से दो की बाद में मुख्तियार सिंह, उर्फ महन्त और सुखदेव सिंह उर्फ काला, जो कि अनेकों आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, के रूप में पहचान की गई। तीसरा आतंकवादी, जो कि असाल्ट राईफल से लैस था, उसकी पहचान नहीं की जा सकी। एक आतंकवादी जो दूसरे छोर की ओर भाग रहा था, दोनों ओर से हुई गोली बारी के दौरान मारा गया और बाद में उसकी मेजर सिंह के रूप में पहचान की गई। तथापि, उसके पास से कोई हथियार बरामद नहीं

किया गया। एक ए० के० 47 राईफल, ए० के०–56 राईफल, ए .303 राईफल, 4 मैगजीनें तथा 200 सक्रिय कारतूस आतंकवादियों के शवों के पास से बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री राम पाल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 अक्तूबर, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 94–प्रेज/92—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मोहन सिंह,
निरीक्षक,
76वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 10 अक्तूबर 1990 को श्री राम पाल सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, अपने सुरक्षा गार्डों के साथ पट्टी में एक प्रचालन सम्मेलन में भाग लेने के बाद खेमकरण स्थित अपनी कम्पनी को लौट रहे थे। करीब 1700 बजे जब वे दोआबा नहर के पुल संख्या 2 को पार कर के भूरा कोना गांव के निकट पहुंचे तो उन्होंने एक बस को खड़े पाया जिसमें यात्री बैठे हुए थे और बस की खिड़की से अपने हाथ बाहर निकाल कर रुकने का संकेत कर रहे थे। पूछताछ करने पर पता चला कि उनकी बस को नहर के पुल पर तीन सशस्त्र आतंकवादियों ने रोक कर, खेमकरण गांव के श्री अमर नाथ कपूर का अपहरण कर उनको नाले के दूसरी ओर दूर ले गए थे। अपहृत व्यक्ति की जान का खतरा भांपते ही हुए श्री राम पाल सिंह ने श्री सुभा सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक खेमकरण को निर्देश दिया कि वह अपने साथियों और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के दल को साथ लेकर राजमार्ग के किनारे-किनारे जाए। वह स्वयं दूसरे दल के साथ आतंकवादियों को रोकने के लिए नहर के रास्ते पर चल दिए। करीब 400 गज की दूरी तय करने पर उन्होंने पांच व्यक्तियों को खेतों में जाते देखा। आतंकवादियों का पीछा करने के लिए पुलिस दल अपने वाहन से नीचे उतर गया। इस दौरान, आतंकवादियों ने दोनों ओर से पुलिस दल को आते देखा तो उन्होंने पुलिस कार्मिकों पर उनको मार डालने के उद्देश्य से स्वचालित हथियारों से गोली चलाई। पुलिस दल ने मोर्चा ले लिया, और तुरन्त आत्मसुरक्षा में जवाबी गोली चलाई। श्री राम पाल सिंह ने अपनी जान की सुरक्षा की परवाह किए बिना, अपने दो साथियों को साथ लेकर अंतिम छोर तक भागते हुए गए और आतंकवादियों पर प्रभावकारी ढंग से गोलीबारी की। पुलिस बल की इस तीव्र और साहसिक कार्रवाई से आतंकवादी हड़बड़ा गए और उन्होंने अपहृत व्यक्ति को मुक्त कर दिया, जो कि दौड़ कर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों की ओर आ गया और बचा लिया गया। श्री मोहन सिंह, निरीक्षक, भी कुमक के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस बल ने आतंकवादियों का पीछा करना और उन पर दबाव बनाए रखना जारी रखा। श्री राम पाल सिंह ने श्री मोहन सिंह और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के पांच कांस्टेबलों के साथ एक मारक दस्ता बनाया, रेंगते हुए धान के खेत में आतंकवादियों के बहुत करीब पहुंच गए और स्वचालित हथियारों से गोली बारी करके क्षेत्र से आतंकवादियों का सफाया कर दिया। श्री राम पाल सिंह ने दो आतंकवादियों को मार डाला तथा तीसरे आतंकवादी को अपनी प्रभावकारी गोली-बारी से उलझाए रखा जिसको फिर श्री मोहन सिंह, निरीक्षक ने मार गिराया। इस मुठभेड़ में मारे गए तीन आतंकवादियों में से दो की बाद में सुखिवन्दर सिंह उर्फ सहन्त और सुखदेव सिंह उर्फ काला, जो कि अनेकों आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, के रूप में पहचान की गई। तीसरा आतंकवादी, जो कि अभक्ष्य रासफसल से लैस था, उसकी पहचान नहीं की जा सकी। एक आतंकवादी जो दूसरे छोर की ओर दौड़ा था, दोनों ओर से हुई गोलीबारी के दौरान मारा गया और बाद में उसकी मेजर सिंह के रूप में पहचान की गई। तथापि उसके पास से कोई हथियार बरामद नहीं किया गया। एक ए० के० 47 राईफल, एक ए० के० 56 राईफल, एक .303 रायफल, 4 मैगजीनें तथा 200 सक्रिय कारतूस आतंकवादियों के शवों के पास से बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री मोहन सिंह, निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 अक्तूबर, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 95–प्रेज/92—राष्ट्रपति रेलवे सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री काशीनाथ प्रसाद गुप्ता, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
जमालपुर यार्ड पोस्ट/आर०पी०एफ०

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

20 अक्तूबर, 1991 को रेलवे सुरक्षा बल, मालदा डिवीजन, ईस्टर्न रेलवे के कांस्टेबल काशीनाथ प्रसाद गुप्ता को अन्य कांस्टेबल के साथ गाड़ी नं० 5/एस० जे० (सुल्तानगंज–जमालपुर श्रमिक गाड़ी) में चोरी की घटना तथा इंजन टेंडर से कोयले की चोरी को रोकने के लिए मार्गरक्षी ड्यूटी पर लगाया गया था। लगभग 19.50 बजे ज्योंहि गाड़ी बरियारपुर तथा रतनपुर रेलवे स्टेशन के बीच गोरधुवा पड़ाव पर पहुंची तो लगभग 15/20 बदमाशों ने गाड़ी के होस पाइपों को तोड़ दिया और इंजन में देशी बम फेंकने शुरू कर दिए तथा रेलवे सुरक्षा बल के मार्गरक्षी दल तथा इंजन कर्मीदल पर भी गोली चलाई। स्थिति को गंभीर होते देखकर रेलवे सुरक्षा बल के दोनों कांस्टेबलों ने टेंडर के अन्दर तुरन्त मोर्चा संभाला और अपनी सर्विस राईफल से गोली चलानी शुरू कर दी। बदमाशों ने रेलवे सुरक्षा बल के मार्गरक्षी दल तथा इंजन कार्मिकों पर बम फेंक कर तथा गोलीबारी करके उनकी हत्या करना जारी रखा। इस मुठभेड़ के परिणामस्वरूप कांस्टेबल काशीनाथ प्रसाद गुप्ता, छाती में दायीं तरफ गोली लगने से जख्मी हो गए और बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें 30-10-91 को अस्पताल में भर्ती किया गया परन्तु 31-10-1991 को उनकी मृत्यु हो गई। कांस्टेबल काशीनाथ प्रसाद गुप्ता तथा उनके साथियों द्वारा किए गए साहसपूर्ण मुकाबले के फलस्वरूप बदमाश भाग खड़े हुए। इस प्रकार कांस्टेबल काशीनाथ प्रसाद गुप्ता द्वारा गोलीबारी का जवाब देने में और सशस्त्र अपराधियों को दूर रखने में समय से की गई साहसिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप न केवल उनके साथियों की जान बची, अपितु गाड़ी पर सवार इंजन कार्मिकों की जान भी बच गई और रेल सम्पत्ति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

घातक हथियारों से लैस सशस्त्र आतंकवादियों के साथ इस मुठभेड़ में कांस्टेबल काशीनाथ प्रसाद गुप्ता ने साहसी मुकाबला

करके अपनी जान की परवाह किए बगैर उच्चकोटि के साहस का परिचय दिया तथा कर्त्तव्य की वेदी पर अपने जीवन का बलिदान दिया ।

इस मुठभेड़ में श्री काशीनाथ प्रसाद गुप्ता कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 अक्तूबर, 1991 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई, 1992

नियम

सं० 6/12/92-के०से०(1)—निम्नलिखित सेवाओं पदों में रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए वर्ष 1992 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक ग्रेड परीक्षा, 1991 के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिताओं परीक्षा नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं :—

1. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग का ग्रेड-4 (सहायक)

2. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड ।

3. केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड ।

4. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा का सहायक ग्रेड, और

5. भारत सरकार के अन्य विभागों/संगठनों और संबद्ध कार्यालयो में सहायकों के पद जो भारतीय विदेश सेवा (ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सम्मिलित नहीं है ।

1. कोई भी उम्मीदवार ऊपर की किसी एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकता है ।

2. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी नोटिस में बताई जाएगी । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जाएंगे ।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट-1 में निर्धारित ढंग से ली जाएगी । परीक्षा की तारीख और स्थान का आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

4. उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए या वह

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत मे स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारत मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से श्रीलंका से आया हो ।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अर्न्तगत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार का द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए ।

परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी, जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र अत्यावश्यक हो; परीक्षा मे बैठने दिया जा सकता है, परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने पर ही दिया जाएगा ।

5. (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए यह आवश्यक है कि 1 जनवरी, 1991 को उम्मीदवार की आयु पूरे 20 साल की हो चुकी हो किन्तु पूरे 25 वर्ष की आयु न हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1966 से पूर्व तथा 1 जनवरी, 1971 के बाद न हुआ हो ।

(ख) भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों तथा साथ में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के अधीन विभागों/कार्यालयों या चुनाव आयोग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालयों या लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय मे कम से कम 3 वर्ष का लगातार तथा नियमित सेवा पहली जनवरी, 1991 तक कर लेने वाले लोअर डिविजन क्लर्कों/अपर डिवीजन क्लर्कों/स्टैनोग्राफरों, ग्रेड घ/ग्रेड-III के मामले में 30 वर्ष की आयु तक ढील दी जा सकेगी ।

ऐसे पदों पर कार्य कर रहे उम्मीदवार जिनका पदनाम लोअर डिवीजन क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क/स्टैनोग्राफर ग्रेड "घ"/ग्रेड-III नहीं, इस उप नियम के अन्तर्गत आयु में छूट पाने के पात्र नहीं होगे, भले ही उनके द्वारा धारित पद समान वेतनमान ले ही क्यों न रहे हो ।

(ग) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु-सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी :—

1. यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, तो अधिक से अधिक 5 वर्ष ।

2. यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आठ वर्ष) ।

3. किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गये रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आठ वर्ष) ।

4. जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन-प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त-अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1991 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (i) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्य मुक्त हुए हैं इनमें वे भी सम्मिलित है जिनका कार्यकाल आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरण के एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है या (ii) सैनिक सेवा हुई शारीरिक अपंगता या (iii) अक्षमता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं उनके मामलों मे अधिक से अधिक 5 वर्ष तक (अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिक से अधिक दस वर्ष तक) ।

5 आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष (अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए अधिकतम दस वर्ष (जिन्होंने 1 जनवरी, 1991 को सैनिक सेवा के 5 वर्षों की सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है

और उसके बाद सैनिक सेवा में रखे जाने हैं तथा जिनके मामलों में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण पत्र जारी करना होता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते और सिविल रोजगार प्राप्त करने पर तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा।

टिप्पणी :—भूतपूर्व सैनिक जो भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजन के लिए दी जाने वाली सुविधाएं प्राप्त करके पहले से ही सिविल क्षेत्र में सरकारी सेवा में कार्यरत हैं वे नियमावली के नियम 5(ग) (4) के अधीन आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

ऊपर दी गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती है।

टिप्पणी :—जिस उम्मीदवार को नियम 5(ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश न दिया हो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं किन्तु आवेदन पत्र भेजते समय यदि उसकी सेवा या पद से छंटनी हो जाती है तो वह पात्र नहीं बना रहेगा।

जो लोअर डिवीजन क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क/स्टेनोग्राफर ग्रेड "ब" ग्रेड-III सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन लेकर किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति है या जिनका किसी अन्य पद पर स्थानांतरण हो जाता है किन्तु जिस पद पर से स्थानांतरित हुआ है उस पर उसका नियत बना रहता है वह यदि अन्यथा उपयुक्त हुआ तो परीक्षा में प्रवेश का पात्र बना रहेगा।

6. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान सभा मंडल द्वारा निर्मित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खण्ड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था डिग्री होनी चाहिए।]

टिप्पणी :—ऐसी व्यवसायिक और तकनीकी योग्यताएं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष ही रखने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।

टिप्पणी :—कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।

7. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में कार्य कर रहें हों, चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त भी क्यों न हुए हों पर आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त न हुए हों या वे जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हैं उन सब को इस आशय का परिज्ञान (अंडरटेकिंग) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उन्हें उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

8. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

9. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) नहीं।

10. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के पैरा 12 में निर्धारित फीस देनी होगी।

11. जिस उम्मीदवार ने—

1. किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा]

2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा

3. किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

6. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों, जो अश्लील भाषा में अभद्र आशय की हों, या

9. परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो,

10. परीक्षा भवन से प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पुस्तिका उठाकर ले जाना,

11. परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या उन्हें अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो,

12. उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो,

13. उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने के लिए अवप्रेरित किया हो तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उनके साथ ही उसे

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए—

1. आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक—

1. उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित, अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

2. उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

12. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनायेगा और इस परीक्षा का परिणाम निकालने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता क्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिए अनुशंसा की जाएगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य माने गए हों।

परन्तु शर्त यह है कि आयोग द्वारा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को, जितनी रिक्तियों उनके लिए आरक्षित की गई है, उतनी ही संख्या में, मानक स्तर में छूट देते हुए संस्तुत करें बशर्ते कि ये उम्मीदवार जिस सेवा के लिए उनका चयन किया जा रहा है उसके लिए योग्य पाए जाएं।

आगे शर्त यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यार्थियों जो आयोग द्वारा बिना शिथिल मानदंडों के अनुशंसित किए जाते हैं जैसा कि इस पैरा में दिया गया है, को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा।

13. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में किस प्रकार दी जाएगी इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

14. नियमों की अन्य व्यवस्थाओं के अध्यधीन परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताये गए वरीयता क्रम पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

15. नियुक्तियां दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएंगी या आवश्यक समझा गया तो परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

16. उम्मीदवार को सहायक ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टाइपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टाइपिंग पास करनी होगी यदि वे निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा पास न कर सकें तो वह सहायक ग्रेड में आगे वेतन वृद्धि पाने के तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक कि वे उक्त परीक्षा पास न कर लें या उन्हें किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन ऐसी परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट न दी जाए और परीक्षा पास कर लेने पर या उससे छूट मिल जाने पर उनके वेतनमान को फिर से इस प्रकार नियत किया जायेगा कि उनकी वेतनवृद्धि रोकी नहीं गई थी परन्तु जितनी अवधि के लिए वेतन-वृद्धि रोकी ही नहीं उस अवधि का बकाया वेतन उन्हें नहीं दिया जायेगा।

17. जिन व्यक्तियों ने—

(क) ऐसे व्यक्तियों से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नि पहले से है, या

(ख) जीवित पत्नि/पति के रहते हुए किसी से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्ति कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

18. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उनमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ है कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता तो उसकी नियुक्ति नहीं की जायेगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जायेगी जिनकी नियुक्ति के संबंध में विचार किए जाने की संभावना है।

19. परीक्षा के पास हो जाने से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता इस लिए आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

20. भारतीय विदेश सेवा (ख), रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में ० सहायकों के पदों को सेवा की शर्तें परिशिष्ट-II में दी गई हैं।

सी० भास्कर
अवर सचिव

परिशिष्ट-1

(परीक्षा की योजना)

परीक्षा के विषय, अनुमत समय तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्न प्रकार से होंगे :—

प्रश्न पत्र	परीक्षा का नाम	परीक्षा का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक	अवधि
प्रश्नपत्र-I –I	(क) तार्किक योग्यता	वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रकार का	100	200	2 घंटे
	(ख) सामान्य ज्ञान	,,	100		
प्रश्नपत्र-I –II	(क) अंकगणित	,,	100	200	2 घंटे
	(ख) अंग्रेजी भाषा-I	,,	100		
	सामान्य अंग्रेजी या भाषा-II सामान्य अंग्रेजी और हिंदी	,,	प्रत्येक में 50		

2. परीक्षा का पाठ्य विवरण साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है।

3. सभी विषयों के प्रश्न पत्र वस्तुपरक के प्रश्नों के होंगे। अंकगणित, तार्किक योग्यता तथा सामान्य ज्ञान से प्रश्न पत्र (प्रश्न पुस्तिका) हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में छपे होंगे।

4. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. आयोग अपनी विवेक्षा पर परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

6. प्रश्न पत्र जहां आवश्यक हो, तोलों और मापों की मीट्रिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

7. उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (प्रश्न पुस्तिका) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते। अतः वे उन्हें परीक्षा भवन न लाएं।

अनुसूची

परीक्षा पाठ्य विवरण :

प्रश्नपत्र-I (क) तार्किक योग्यता : तार्किक योग्यता परीक्षण में शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न में से 40 प्रश्न गैर-शाब्दिक प्रकार के होंगे जो वर्गीकरण, सादृश्य और शृंखला पर आधारित होंगे। शेष 60 प्रश्न शाब्दिक प्रकार के होंगे जो वर्ण/अंक शृंखला, वर्ण/अंक/शब्द सादृश्य, अंक/वर्ण/शब्द वर्गीकरण, कूटीकरण, कूटानुवाद, समस्या समाधान नियम योजना, स्थानिक स्थिति निर्धारण, विशेष मानसदर्शन तथा कथक निष्कर्ष/निगमनिक तर्क पर आधारित होंगे।

(ख) सामान्य ज्ञान : इस परीक्षण के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के समसामयिक ज्ञान के अतिरिक्त सामान्य विज्ञान/सामाजिक विज्ञान तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के ज्ञान का मापन करना है। इस परीक्षण में खेलकूद, संस्कृति, इतिहास, भूगोल तथा सामान्य राज्य-व्यवस्था इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। ये प्रश्न ऐसे होंगे जिसके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती।]

प्रश्नपत्र-II (क) अंकगणित : इस परीक्षण में प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, आकलन, सारणी और लेखाचित्रों का प्रयोग, क्षेत्रमिति, समय और दूरी औसत एवं समय इत्यादि पर आधारित प्रश्न होंगे।

(ख) भाषा-I (सामान्य अंग्रेजी) : इस परीक्षण में त्रुटि पहचानने रिक्त स्थानों की पूर्ति करने (क्रिया, पूर्वसंग, उपपद, क्रिया विशेषण इत्यादि का प्रयोग करके) शब्दकोष, वर्तनी, अनुच्छेदों में वाक्यों का अनुक्रम, वाक्यों में शब्दों का अनुक्रम, क्लोज पैसेज तथा धारणशील अनुच्छेद। इत्यादि पर आधारित प्रश्न होंगे। दिए गए अनुच्छेद के प्रसंग में सामानार्थक एवं विलोमार्थक भी पूछे जाएंगे प्रश्नों का मानदण्ड केवल 10+2 स्तर का होगा।

या

भाषा-II (सामान्य अंग्रेजी और हिन्दी) : इस परीक्षण में 50 प्रतिशत प्रश्न सामान्य अंग्रेजी के होंगे जो भाषा-I की तरह ही होंगे तथा 50 प्रतिशत प्रश्न हिन्दी के होंगे हिन्दी के प्रश्न अभ्यर्थी के भाषा की समझ, सभी शब्दों के उचित प्रयोग लोकोक्तियों और मुहावरों तथा भाषा को सही, सुस्पष्ट तथा प्रभावशाली रूप से लिखने की योग्यता का परीक्षण करने के लिए तयार किए जाएंगे।

परिशिष्ट-II

उन सेवाओं/पदों से संबंधित विवरण जिनके लिए इस परीक्षा के द्वारा भर्ती की जा रही है :—

1. भारतीय विदेश सेवा (ख) :

विदेश मंत्रालय में और विदेश स्थित भारतीय राजनयिक काउन्सलर मिशनों व केन्द्रों में सहायकों के सभी पद तथा वाणिज्य मंत्रालय में सहायकों के कुछ पद भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड-4 में सम्मिलित हैं। ग्रेड-4 के नीचे के ग्रेडों को छोड़ कर भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के विभिन्न ग्रेड निम्नलिखित हैं :—

ग्रेड	पदनाम	वेतनमान
ग्रेड-I	मुख्यालयों में अवर सचिव या विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों पर प्रथम और द्वितीय सचिव	रु० 3000-100-3500-125-4500
	समेकित मुख्यालयों में सहकारी (उताशों)	रु० 2000-60-2300-द० रो०-75-2900-100-3500
ग्रेड-II और III	अनुभाग अधिकारी और विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों में उप काउंसिल और रजिस्ट्रार	
ग्रेड-IV	मुख्यालयों में तथा विदेश सेवा स्थित मिशनों और केन्द्रों पर सहायक	रु० 1640-60-2600-द० रो०-75-2900

2. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड-4 मे सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष परिवीक्षाधीन रखा जाएगा। इस दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने होंगे और ऐसी परीक्षाएं पास करनी होंगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गयी हों। प्रशिक्षण के दौरान संतोषजनक प्रगति न करने अथवा परीक्षाएं पास करने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को नौकरी से निकाला जा सकता है।

3. परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितनी उचित समझे बढ़ा सकती है।

4. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त किए गए व्यक्तियों का केन्द्रीय सचिवालय सेवा और अन्य किसी सेवा संवर्ग में शामिल पदों पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। उसके अतिरिक्त ऐसे सभी व्यक्ति जो चाहें, भारत में अथवा विदेश में किसी पद पर नियुक्त किए जाएं सेवा करने को बाध्य होंगे।

5. विदेशों में सेवा के दौरान भारतीय विदेश सेवा (ख) अधिकारियों को मूल वेतन के अतिरिक्त सम्बद्ध देशों में निर्वाह व्यय आदि अनुसार समय-समय पर स्वीकृत की जाने वाली दरों पर विदेश भत्ता भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी०ए०) नियमावली, 1961 के अनुसार जो भारतीय विदेश सेवा (ख) अधिकारियों पर लागू हो गई हैं, विदेशों में सेवा के दौरान निम्नलिखित रियायतें भी ग्राह्य हैं :—

(1) सरकार द्वारा निर्धारित मान के अनुसार सुसज्जित निःशुल्क आवास,

(2) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अन्तर्गत चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं,

(3) निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकारियों तथा उनके परिवारों के लिए गृह अवकाश-यात्रा।

(4) सरकार द्वारा यथा परिभाषित आपातकाल जैसे भारत में किसी निकट संबंधी की मृत्यु अथवा गंभीर बीमारी के समय भारत जाने और विदेश में कार्यस्थल पर वापस लौटने के लिए जाने आने का एकल हवाई यात्रा व्यय जो पूरी सेवावधि के दौरान अधिक से अधिक दो बार मिलेगा।

(5) भारत में क्षेत्रीय शैक्षिक संस्था में अध्ययनरत 6 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कुछ शर्तों पर छुट्टियों के दौरान अपने माता-पिता के पास आने जाने के लिए वापिस हवाई यात्रा व्यय।

(6) उक्त अधिकारी को विदेश में तैनाती स्थल पर अध्ययन रत 5 से 18 वर्ष तक आयु तक के बच्चों की शिक्षा का व्यय जो अधिकतम दो बच्चों तक मिलेगा, कुछ शर्तों के अधीन सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(7) विदेशों में प्रति तनाती पर रु० 2000 परिसज्जा भत्ता जो सारी सेवावधि के दौरान अधिक से अधिक 8 अवसरों तक मिलेगा।

6. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त सभी अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (शाखा "ख") (भर्ती संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियमावली 1964 के अधीन और अन्य ऐसे नियमों और विनियमों के अधीन होंगे जो सरकार भविष्य में बनाये और उक्त सेवा पर लागू करें।

7. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग सहायक ग्रेड में नियुक्त व्यक्ति, भारतीय विदेश सेवा (शाखा "ख") (भर्ती, संवर्ग वरिष्ठता और पदोन्नति) नियमावली, 1969 में समाविष्ट उपबन्धों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे।

टिप्पणी :—भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियमावली, 1964, के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-1 अधिकारियों के लिए भारतीय विदेश सेवा (क) के रु० 3200-100-3700-125-4700 के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के लिए सीमित कोटा उपलब्ध है।

2. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा :—

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के इस समय निम्नलिखित 4 ग्रेड हैं :—

(1) चयन ग्रेड (उप सचिव या समकक्ष) अधिकारी रु० 3700—125—4700—150—5000।

(2) चयन ग्रेड (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी) रु० 3000—100—3500—125—4500।

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड रु० 2000—60—2300—द० रो०—75—3200—100—3500।

(4) सहायक ग्रेड रु० 1640—60—2600—द०—रो०—75—2900।

सहायक के रूप में सीधे भरती हुए व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसके दौरान उन्हें ऐसा प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसी परिवीक्षाएं देनी होंगी जो सरकार निर्धारित करे यदि वे प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें और परीक्षाएं पास न कर सकें तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवामुक्त किया जा सकता है।

परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

उक्त सेवा के सहायक ग्रेड में भर्ती हुए व्यक्ति इस संबंध में समय-समय पर प्रभावी नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा रेल विभाग तक ही सीमित है और इसके कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारियों की तरह और मंत्रालयों में स्थानांतरित नहीं किए जा सकते हैं।

बोर्ड सचिवालय के सेवा के इन नियमों के अन्य हुए अधिकारी।

(1) पेंशन लाभ के पात्र होंगे, और

(2) गैर अंशदायी राज्य रेलवे भविष्य निधि के नियमों के अंतर्गत निधि में अंशदान करेंगे जो कि रेल कर्मचारियों पर उनके सेवा में सम्मिलित होने की तारीख से लागू हो जाते हैं।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियुक्त कर्मचारी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार पास और पी० टी० ओ० के हकदार होंगे।

जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल किए गए कर्मचारियों को रेलवे के अन्य अधिकारियों के समान ही समझा जाता है, परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में उस पर वे ही नियम लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं।

3. केन्द्रीय सचिवालय सेवा :—

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय नीचे लिखे 4 ग्रेड हैं :—

(1) चयन (सेलेक्शन ग्रेड) (उप सचिव या समकक्ष अधिकारी) रु० 3700—125—4700—150—5000।

(2) ग्रेड—I (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी)—रु० 3000—100—3500—125—4500

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड—रु० 2000—60—2300—द० रो०—75—3200—100—3500

(4) सहायक ग्रेड—रु० 1640—60—2600—द० रो०—75—2900

2. सहायकों के रूप में सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परिक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें या परीक्षाएं पास न कर सकें तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवामुक्त किया जा सकता है।

3. परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे और बढ़ा सकती है।

4. केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में शामिल किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है। ताकि उन्हें किसी भी समय किसी अन्य मंत्रालय या कार्यालय में स्थानांतरण किया जा सकता है।

5. सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति के पात्र होंगे।

6. जिन व्यक्तियों को उनके अपने ही विकल्प के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया हो तो वे अपनी इस नियुक्ति के बाद किसी अन्य संवर्ग (कैडर) के किसी पद पर स्थानांतरण या नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे।

4. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा :

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में पांच ग्रेड हैं जो इस प्रकार :—

ग्रेड	वेतनमान
(1)	(2)
निदेशक	रु० 4500—150—5700
चयन ग्रेड (संयुक्त निदेशक या वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी)	रु० 3700—125—4700—150—5000
सिविलियन स्टाफ अधिकारी	रु० 3000—100—3500—125—4500
सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी	रु० 2000—60—2300—द० रो०—75—3200—100—3500
सहायक	रु० 1640—60—2600—द० रो०—75—2900

2. जिन व्यक्तियों की सहायक के रूप में सीधी भर्ती की जाएगी उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखेंगे जिसके दौरान उन्हें ऐसा प्रशिक्षण लेना होगा तथा ऐसे विभागीय परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। परीक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखाने पर अथवा उक्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण न होने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी को सेवा से कार्यमुक्त किया जा सकता है।

3. परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर सरकार परिवीक्षाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा है तो या तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकता है या उसकी परिवीक्षा अवधि ऐसी आगे की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकती है जो भी सरकार उचित समझे।

4. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भर्ती किए गए सहायकों की तैनाती सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा योजना में सहभागी अन्तः सेवा संगठन के किसी एक सेवा मुख्यालय में की जाएगी। किन्तु उन्हें किसी भी समय किसी अन्य ऐसे मुख्यालयों या कार्यालयों में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

5. सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति के पात्र होंगे।

6. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त किए गए व्यक्तियों का ऐसी नियुक्ति के बाद उन पदों, जो उक्त सेवा में सम्मिलित नहीं हैं, पर स्थानांतरण या नियुक्ति का कोई हक नहीं होगा।

(ए० के० उपाध्याय)
निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 2nd June 1992

No. 87-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Maharashtra Police.

Name and rank of the officer

Shri Mohammed Abdul Qavi,
Inspector of Police,
Bombay.

Shri Jaysing Shivajirao Patil,
Inspector of Police,
Bombay.

Shri Shyamrao Baburao Jedhe,
Inspector of Police,
Bombay.

Shri Sanjay Wasudev Jambhulkar,
Inspector of Police,
Bombay.

Shri Prakash Mammen George,
Sub-Inspector of Police,
Bombay.

Shri Pascal Lawrence D'souza,
Sub-Inspector of Police,
Bombay.

Shri Iqbal Hasan Shaikh,
Sub-Inspector of Police,
Bombay.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 4th March, 1991, information from reliable source was received that two dreaded main contract killers of Dawood Ibrahim gang, namely Ramchandra @ Bachhi and Gabrial @ Baba were engaged by one Dilip Bulchandani, an industrialist, to recover his huge amounts from others.

On receipt of this information, a Police party consisting of four Police Inspectors and three Sub-Inspectors of Police, left for Kalbro Polyester Ltd., Andheri (B), owend by Dilip Bulchandani. Utmost care was taken that the gangsters and Dilip Bulchandani should not know about Police action. As such only two officers entered Bulchandani's office on the pretext of business transaction and found two gangsters sitting with Bulchandani. Sensing apprehension of arrest, one of the gangsters took out a loaded revolver and the other a pistol which were concealed on their persons but before they could use the firearms, Gabrial was over powered and disarmed by S/Shri S. B. Jedhe, Inspector of Police and P.M. George, Sub-Inspector of Police at the risk of their own lives. Simultaneously, without caring for their own lives Shri M.A. Qavi, Inspector of Police and Shri I.H. Shaikh, Sub-Inspector of Police, overpowered and disarmed Bachhi Pande. He made a statement before Panchas that Dilip Bulchandani had engaged him alongwith his five accomplices to comit dacoity at Hotel Sheetal situated at Khar (W) and to abduct its owner for recovery of Rs. 30 lakhs which Dilip Bulchandani had to recover from the owner of Hotel. To execute the plan, they had assembled to finalise the details and their associates were asked to wait in a tailor's shop at Khar. The associates were armed with revolvers, mini stengun and two China made bombs. On this revelation, the police party immediately left Kalbro Polyester Ltd., for Khar. In the meantime on the associates of Bachhi Pande tried to escape in a Maruti but was apprehended by Shri S. W. Jambhulkar. Inspector of Police and Shri P.L. D'Souza, Sub-Inspector of Police. On reaching Khar, Bachhi Pande led the Police party to the tailor's shop. On seeing the Police, three associates of Bachhi Pande in the shop took out revolvers but were overpowered and disarmed by Shri J. S. Jatil, Jambulkar with Inspectors and Shri P.L. D'Souza, Sub-Inspector of Police. A shoulder bag carried by one of the three associates containing firearms and explosives was also confiscated.

Thus the above Police party consisting of 7 offices arrested a total of 7 armed violent and desperate gangsters including Bulchandani in a swift and flawness operation and seized 5 imported revolvers, one mini stengun, 2 Chine made bombs, 3 empties and 68 live cartridges.

In this encounter Shri Mohammed Abdul Qavi, Inspector of Police, Shri Jaysing Shivajirao Patil, Inspector of Police, Shri Shyamrao Baburao Jedhe, Inspector of Police, Shri Sanjay Wasudeo Jambhulkar, Inspector of Police, Shri Prakash Mammen George, Sub-Inspector of Police, Shri Pascal Lawrence D'Souza, Sub-Inspector of Police and Shri Iqbal Hasan Shaikh, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special alloawnce admissible under rule 5, with effect from the 4th March, 1991.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 88-Pres/92.—The President is pleased award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police.

Name and rank of the officer

Shri Harjit Singh,

Sub-Inspector of Police,

Police Station Sultanpur Lodhi.

Statement of Services for which the decoration has been awarded.

On 19th December, 1990, Sub-Inspector Harjit Singh, SHO, P. S. Sultanpur Lodhi alongwith other police/BSF personnel was on combine operation in the area of village Shekh-Manga, P. S. Sultanpur Lodhi. They noticed some suspicious persons under suspicious circumstances near the house of one Dara Singh. On seeing the police parties, suspected persons took position in a kacha hutments and started firing heavily with sophisticated weapons on the security personnel. Shri Harjit Singh and other police personnel returned the fire in self defence after taking shelter of the wall of kacha hutments, as a rsult of this two terrorists were injured, fall on the ground and later succumbed to their injuries. Another terrorist was killed by Constable Sunil Kumar of BSF. He received bullet injuries in the exchange of fire and was rushed to hospital.

Thereafter BSF personnel lobbed hand-grenades on the hideout but the terrorists continued firing on the security personnel. Than Shri Harjit Singh alongwith other police personnel crawled forward and succeeded in sitting on the bullet proof canter which was parked nearby. They made holes on roof-top of the house and lobbed hand grenades in the house, as a result of this, the household goods caught fire and the katcha hutment dashed on the ground. The encounter lasted for about three hours. Thereafter firing from the terrorists side stopped. On search 5 dead bodies of terrorists were recovered, out them 4 were later identified as Baldev Singh alias Deba, Rachpal Singh alias Pappa, Surjit Singh alias Painta and Inderjit Singh. They were involved in large number of heinous crimes. During search one AK-94 Assault Rifle, 3 AK-47 Chinese Assault Rifles and large quantity of ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Harjit Singh, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 19th December, 1990.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 89-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police.

Name and rank of the officer

Shri Darshan Kumar,
Deputy Superintendent of Police,
Dasuya Sub-Division.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 29th May, 1991, Shri Darshan Kumar, Deputy Superintendent of Police, Dasuya Received information that some hardcors extremists well armed were hiding in the house of one Kapoor Singh at Village Basoha, P. S. Dasuya and were planning to commit major shoot out on minority community in order to force them for migration from Dasuya, Sub-Division. Shri Darshan Kumar alongwith available force rushed to the spot. He also gave signal message to the Force Available at Dasuya, Tanda and para Military Force to rush to the spot. On reaching there, they encircled the entire village. Shri Darshan Kumar alongwith a small force reached the house of Kapoor Singh and warned the extremists to surrender. On this the extremists hiding in the upper storey of the house, opened fire with automatic weapons on the police party. Shri Darshan Kumar directed the police personnel to return the fire in self defence. In the meantimes District Police and para Military personnel also reached there and further strengthened the cordon. Suddenly the extremists seeing the heavy strength of Police force, started throwing HE-36 hand grenades on the police party in a bid to escape. Shri Darshan Kumar did not move and continued to engage the extremists with heavy firing with the Police party at his command. The hand grenades thrown by the extremists exploded and caused injuries to Shri Raj Kumar, Shri Rajwant Singh, Special Police Officers and Constable Guljinder Singh of PAP. As the firing by the police personnel did not prove effective during the operation of one hour, Shri Darshan Kumar without caring for his personal safety went near the window of upper storey by scaling from other side and threw six grenades through the window one by one. This dare devil action of Shri Darshan Kumar proved utmost successful in silencing the extremist guns. Simultaneously BSF personnel also threw hand grenades from other side.

Thereafter firing from the extremists side stopped. During search three dead bodies of unidentified extremists were recovered. On search one AK-47 Rifle, one Mouzer Chinese made and large number of live/empty cartridges were recored from the place of encounter.

In this encounter Shri Darshan Kumar, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 29th May, 1991.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 90-Pres/92.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force.

Name and rank of the officer

Shri Jaswant Singh (*Posthumous*)
Head Constable,
143 Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 8th September, 1991, a Joint search operation was planned by Punjab Police and Border Security Force personnel in the area of village Moujia District Bathinda. There was definite information that a gang of terrorists was moving in that area. Planned search of suspected farm houses and tubewell buildings was started. At about 0900 hours suddenly the terrorists opened fire from cotton fields. The Border Security Force and police personnel immediately cordoned the fields from all sides. Head Constable Jaswant Singh alongwith other personnel took position and opened heavy fire on the terrorists. Shri Jaswant Singh without caring for his personal safety crawled towards the place from where the firing was coming. He located the foot prints of the terrorists in the cotton fields and informed his commander about the suspected place and direction of terrorists. As by then he was quite close to the terrorist's position, the terrorists opened volley of fire on Shri Jaswant Singh but lickily he escaped unhurt. Undeterred by this murderous asult from a close range, Shri Jaswant Singh continued to move tactically by crawling towards the place from where the last volley of fire came. Suddenly, a terrorist got up from the cotton crop field and he came face to face with Shri Jaswant Singh. With no possible place or position to take cover, almost simultaneously, both Shri Jaswant Singh and the terrorist opened fire at each other and both fell dead on the spot. In this way Shri Jaswant Singh single handedly eliminated a dreaded hardcore terrorist and in the process laid down his own life at the alter of duty.

On seeing the gallant act of Shri Jaswant Singh, the cordon and search parties opened heavy fire on the terrorists. During the exchange of fire two more terrorists were killed. During search 1 AK-47 Rifle, one 7.62 SLR, one .455 revolver, one .36 bore revolver, one hand-grenade and large quantity of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Jaswant Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8th September, 1991.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 91-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force.

Name and rank of the officer

Shri Rajpal Singh,
Head Constable,
41 Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 29th October, 1990 at about 1430 hours Border Security Force post at Khammano received instructions from Superintendent of Police, Operations, Ludhiana to lay ambush at village Barwali, Police Station Khmamano as some extremists had laid ambush on the Barari Bridge. Head Constable Rajpal Singh led a Section of force while chasing about 10 extremists, who had taken position near village Unchapind (Sangol) and were firing from all directions on the Border Security Force party. Shri Rajpal Singh and his party gave a hot chase to the fleeing extremists for about 3-4 kilometres. While escaping, extremists took position in fields and fired on the Border Security Force party. Shri Rajpal Singh tactically moved and took position about 100 yards from the position of extremists. Without caring for his personal safety and security, he directed his group to engage the extremists from one side and he himself stealthily went towards the other side where he observed that extremists were firing from a Bambi. Simultaneously he saw that one of the extremists were engaging the advancing troops. Shri Rajpal Singh immediately took position and fired a burst of rounds on that extremist with his machine gun killing him instantaneously. The other extremist hiding in the bambi, on seeing Shri Rajpal Singh, tried to flee and in the process also tried to fire at Shri Rajpal Singh. But Shri Rajpal Singh with lightening speed killed this extremist also. In the meanwhile, other BSF parties who were advancing from one side killed three more extremists. The dead terrorists were later identified as Jagjit Singh alias Jagga, Ranjit Singh, Ishwar Singh, Karam Singh and Nettar Singh. During search 3 AK-47 Rifles, 2 Pistols, one 7.62 mm SLR, five Hero Honda Motorcycles and large quantity of ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Rajpal Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 29th October, 1990.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 92-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force.

Name and rank of the officer

Shri S. Dharam Raj,
Constable
89 Bn., C.R.P.F.
Nakodar,
Punjab.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 4th August, 1991 at about 2000 hrs, SHO, P.S. Goraya while on patrolling duty in rural area was fired upon near Chachorari Railway Crossing. He ordered his escorts to open fire in self-defence. The unidentified persons taking advantage of the big drain near Railway track, sugar cane fields and darkness made good their escape. On 5-8-1991 at about 0600 hrs. intensive search of the area was conducted under the supervision of OC-E/89 and SHO Goraya in the vicinity of Chachrari and Takhar villages. A section under command of Head Constable moved tactically to locate and neutralise the terrorists in the sugarcane fields adjoining the small canal. Shri Dharam Raj noticed some movement in the sugarcane field on the other side of the canal and signalled his Section Commander who immediately ordered his men to take position and challenged the unidentified person hiding in one corner of the sugar cane field. The terrorist who was about 20 yards away started firing with automatic weapon and one bullet hit Constable Dharam Raj in the middle of right upper arm. Despite bleeding due to bullet injury he in a bold and courageous manner crawled forward and fired with his SLR rifle at the terrorist and killed him on the spot. Shri Dharam Raj was evacuated to Civil Hospital Phillour for treatment. After the firing was stopped from the sugercane field, the area was searched and one dead body of terrorist was recovered who was identified as Baljit Singh a listed hardcore terrorist and wanted in a number of cases. One foreign made Mouzer with 1 magazine with one round and 3 fired cases were recovered from the dead terrorist. One Motor Cycle hero Honda was also recovered from the area.

In this encounter Shri S. Dharam Raj, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 4th August, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

New Delhi, the 2nd June 1992

No. 93-Pres/92.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force.

Name and rank of the officer

Shri Ram Pal Singh,
Deputy Superintendent of Police,
76 Bn., C.R.P.F.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 10th October, 1990, Shri Ram Pal Singh, Deputy Superintendent of Police, alongwith his escort was returning to his company at Khemkaran after attending an operational conference at Patti. At about 1700 hrs. When they reached near village Bhura Kona after crossing Doaba Canal Bridges No. 2, they noticed a bus standing and passengers sitting in it raising their hands out of the windows of the bus and signalling to stop. On enquiry it was learnt that three armed terrorists had stopped their bus at the Canal Bridge, kidnapped Shri Amarnath Kapoor of village Khemaran and took him away towards the opposite side of the drain. Sensing danger to the life of kidnapped person, Shri Ram Pal Singh directed Shri Subha Singh, Sub-Inspector of Police, Khemkaran to take his men with a group of CRPF personnel along the high way. He himself with other party advanced along the canal track to intercept the terrorists. After covering about 400 yards, he noticed five men with arms moving in field. The police party got down from their vehicles to chase the terrorists. In the meantime, the terrorists saw the Police party approaching from both sides, they fired with automatic weapons on the Police personnel to kill them. The Police party took position, and immediately retaliated in self-defence. Shri Ram Pal Singh without caring for his own life ran with his two men to the furthest end, cordoned the terrorists and inflicted effective fire. Quick and daring action of the Police force baffled the terrorists and they let loose the kidnapped person who ran towards the CRPF personnel and was rescued.

Shri Mohan Singh, Inspector also arrived with reinforcement. The Police parties continued chasing and dominating the terrorists. Shri Ram Pal Singh with Shri Mohan Singh and five constables of CRPF formed a striking group, crawled very close to terrorist's position in the paddy field and swept the area with automatic fire. Shri Ram Pal Singh killed two terrorists and engaged the third with his effective fire who was then killed by Shri Mohan Singh, Inspector. Of the three terrorists killed in this encounter, two were later identified as Mukhtiar Singh alias Mohant and Sukhdev Singh alias Kala involved in numerous terrorists activities. The third terrorist armed with assault Rifle could not be identified. One of the terrorists who ran towards other side was killed during cross firing and he was later identified as Major Singh. No weapon was however, recovered from him. One AK-47 Rifle, one AK-56 Rifle, one .303 Rifle, 4 magazines and 200 live rounds were recovered from near the dead bodies of the terrorists.

In this encounter Shri Ram Pal Singh, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 10th October, 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

New Delhi, the 2nd June 1992

No. 94-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force.

Name and rank of the officer

Shri Mohan Singh,
Inspector,
76 Bn., C.R.P.F.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 10th October, 1990, Shri Ram Pal Singh, Deputy Superintendent of Police, alongwith escort was returning to his company at Khemkaran after attending an operational conference at Patti. At about 1700 hrs. When they reached near village Bhura Kona after crossing Doaba Canal Bridges No. 2, they noticed a bus standing and passengers sitting in it raising their hands out of the windows of the bus and signalling to stop. On enquiry it was learnt that three armed terrorists had stopped their bus at the Canal Bridge, kidnapped Shri Amarnath Kapoor of village Khemaran and took him away towards the opposite side of the drain. Sensing danger to the life of kidnapped person, Shri Ram Pal Singh directed Shri Subha Singh, Sub-Inspector of Police, Khemkaran to take his men with a group of CRPF personnel along the high way. He himself with other party advanced along the canal track to intercept the terrorists. After covering about 400 yards, he noticed five men with arms moving in field. The police party got down from their vehicles to chase the terrorists. In the meantime, the terrorists saw the Police party approaching from both sides, they fired with automatic weapons on the Police personnel to kill them. The Police party took position, and immediately retaliated in self-defence. Shri Ram Pal Singh without caring for his own life ran with his two men to the furthest end, cordoned the terrorists and inflicted effective fire. Quick and daring action of the Police force baffled the terrorists and they let loose the kidnapped person who ran towards the CRPF personnel and was rescued.

Shri Mohan Singh, Inspector also arrived with reinforcement. The Police parties continued chasing and dominating the terrorists. Shri Ram Pal Singh with Shri Mohan Singh and five constables of CRPF formed a striking group, crawled very close to terrorist's position in the paddy field and swept the area with automatic fire. Shri Ram Pal Singh killed two terrorists and engaged the third with his effective fire who was then killed by Shri Mohan Singh, Inspector. Of the three terrorists killed in this encounter, two were later identified as Mukhtiar Singh alias Mohant and Sukhdev Singh alias Kala involved in numerous terrorists activities. The third terrorist armed with assault Rifle could not be identified. One of the terrorists who ran towards other side was killed during cross firing and he was later identified as Major Singh. No weapon was however, recovered from him. One AK-47 Rifle, one AK-56 Rifle, one .303 Rifle, 4 magazines and 200 live rounds were recovered from near the dead bodies of the terrorists.

In this encounter Shri Mohan Singh, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th October, 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

New Delhi, the 2nd June 1992

No. 95-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Railway Protection Force :

Name and rank of the officer

Shr Kashi Nath Prasad Gupta (*Posthumous*)
Constable,
Jamalpur Yard Post,
Railway Protection Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 30th October, 1991 Constable Kashi Nath Prasad Gupta of the Railway Protection Force, Malda Division, Eastern Railway alongwith another Constable was deputed on escorting duty on Train No. 5/50 (Sultanganj—Jamalur Sramik Train) against theft and pilferage of coal from Engine Tender. No sooner the train arrived at Gordhua Halt between Bariarpur and Ratanpur Railway Stations at about 1950 hrs. miscreants numbering about 15/20, disconnected the Hose Pipes of the Train and started throwing hand made bombs on the Engine and also fired on the RPF escort party and Engine Crews. Observing the situation to be grave, both the RPF Constables immediately took positions inside the Tender and returned fire from their service Rifles. The miscreants continued their on slaught by hurling bombs and fired shots at the RPF escort party and the Engine Crews. In the encounter which ensued, Constable Kashi Nath Prasad Gupta, sustained a bullet injury on his right chest and fell down unconscious. He was admitted in the hospital on 30-10-191 but expired on 31-10-1991. Due to courageous resistance put up by Constable Kashi Nath Prasad Gupta and his colleague, the miscreants took to their heels. Thus, the timely and brave action taken by Constable Kashi Nath Prasad Gupta, in returning the fire and keeping the armed criminals at bay, resulted not only in saving the life of his colleague, but also that of the Engine Crews on the Train as well as the railway property.

Constable Kashi Nath Prasad Gupta displayed courage of a high order by putting up a valiant fight, unmindful of his personal safety and laid down his life at the alter of duty in this encounter with criminals armed with lethal weapons.

In this encounter Shri Kashi Nath Prasad Gupta, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carrier with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 30th October, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director.

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS
(DEPTT. OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 11th July 1992

RULES

No. 6/12/92-CS-I.—The Rules for a competitive examination viz Assistants Grade Examination, 1991 to be held by the Staff Selection Commission in 1992 for the purpose of filling vacancies in the following services Posts are published for general information :—

(i) Grade IV (Assistants) of General Cadre of the Indian Foreign Service (B);

(ii) Assistants' Grade of the Railway Board Secretariat Service;

(iii) Assistants' Grade of the Central Secretariat Service;

(iv) Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Services; and

(v) Posts of Assistant, in other Departmental Organisations and Attached Offices of the Government of India not participating in the IFS (B)/Railway Board Secretariat Service/Central Secretariat Service/Armed Forces Headquarters Civil Services.

1. A candidate may compete in respect of any one or more of the Services/Posts mentioned above.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be as specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 21st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Sri Lanka, with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 25 years on the 1st of January, 1991 i.e. he must have been born not earlier than the 2nd January, 1966 and not later than the 1st January, 1971.

(b) The upper age limit will be relaxable upto the age of 30 years in respect of LDCs/UDCs/Stenograghraphers Grade D/Grade III with not less than 3 years continuous and regular service on 1st January, 1991 in the various Departments/Offices of the Government of India including those under the Union Territories Administrations or in the Office of the Election Commission and the Central Vigilance Commission or in the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.

Candidates holding posts, which are not designated as LDCs/UDCs/Stenographers Grade D/Grade III will not be eligible for age relaxation under this sub-rule, even though the posts held by them are in identical pay scale.

(c) The Upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years (8 years for SC/ST candidates) if a candidate is a bonafide repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka, and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(iii) upto a maximum of three years (8 years for SC/ ST candidates) in the case of Defence Services Personnel, disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(iv) upto a maximum of 5 years (10 years for SC/ ST in the case of exserviceman) Commissioned Officers including ECO's /SSCO's who had rendered at least 5 years Military Service as on 1st January, 1991 and have been released (i) on completion of assignment including those whose assignment is due to be completed within one year from the closing date, otherwise than by way of dismissal or discharge or on account of misconduct or inefficiency or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment;

(v) upto a maximum of 5 years (10 years for SC/ ST) in Case of ECO's SSCO's who have completed an initial period of assignment of 5 years of Military Service as on 1-1-91 and are retained in the Military Service thereafter, and in whose case the Ministry of Defence issued a certificate that they can apply for civil employment and that they will be released on 3 months' notice on securing civil employment.

NOTE : Ex-servicemen who have already joined the Government job on Civil side after availing of the benefit given to them as ex-servicemen for their re-employment are not eligible to apply under Rule 5(c) (iv) of the Rules.

Save as Provided above the Age Limits Prescribed can in no case be released.

NOTE : The candidature of a person who is admitted to the examination under Rule 5 (b) shall be cancelled if after submitting this application he resigns from Service or his services are terminated by his Deptt. either before or after taking the examination. He will, however, continue to be ligible, if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

An LDC/UDC/Stenographer Grade D who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority or who is transferred to another post but retains lien on the post from where he is transferred will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

6. A candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central of State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification.

NOTE I:—Candidate possessing professional and technical qualifications which are recognised by Government as equivalent to professional and technical degree will also be eligible for admission to the examination.

NOTE II :—Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the Commission's examination but have not been informed of the result as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination will not be eligible to apply for admission to the Commission's examination.

7 All Candidates in Government service whether in a permanent or in a temporary capacity or as workcharged employees, other than casual or duty daily rated employee, or those serving under Public Enterprises, will be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for appearing at the examination, their applications shall be rejected/candidature shall be cancelled.

8. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

9. No candidate will be admitted to the examinaton unless he holds a certificate of admission from the Commission.

10. Candidates must pay fee prescribed in para 12 of the Commission's Notice.

11. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with; or

(v) making statement which are incorrect or false; or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for his examination or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevent matter, including obsence language or pronographic matter, in the script(s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) Taking away the Question booklet/answer sheet from the examination hall, or

(xi) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or

(xii) violating any of the instruction issued to the candidates alongwith their Admission Certificates permitting them to take the examination, or

(xiii) attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable.

(a) to disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred, either permanently or for specified period :—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

provided that no penalty under this rule shall be imposed except after :—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

12. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so may candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided further that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, may to the extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, be recommended by the Commission by a relaxed standard, subject to the fitness of these candidates for selection to the service.

Provilded further that the candidates belonging to the SC and ST, who have been recommended by the Commission without resorting to the relaxed standards referred to in this sub-rule, shall not be adjusted against the vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

13. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regading the result.

14. Subject to other provisions contained in these rules, due consideration will be given at the time of making appointment on the result of the examination, to the preference expressed by a candidate for various Services/Posts in the detailed application form.

15. Appointments will be made on probation for a period of two years. The period of probation may be extended if considered necessary.

16. Candidates will be required to pass test in typewriting at a minimum speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi within a period of two years from the date of appointment to the Assistant Grade. In the event of their failure to pass the test within the prescribed period, they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistant's Grade until they pass such test or are exempted from this requirement under a special or general order and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments had not been withheld but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld.

17. No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule;

18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

19. Success at the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable in all respect for appointment to the Service/Post.

20. Conditions of Service for Assistants in the Indian Foreign Service (B), the Railway Board Secretariat Service, the Central Secretariat Service and the Armed Forces Headquarters Civil Service are briefly stated in Appendix II.

C. BHASKAR
Under Secretary

APPENDIX I

(The Scheme of the Examination)

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

Paper	Name of the Test	Type of the test	No. of Questions	Marks	Duration
Paper I	(a) Reasoning Ability . . .	Multiple Choice Objective Type	100	200	2 Hours
	(b) General Awareness . . .	Do.	100		
Paper II					
	(a) Arithmatic	Do.	100		
	(b) Language I (General English) .	Do.	100		
	OR				
	Language II (General English and Hindi)	Do.	50 each	200	2 Hours

The syllabus for the examination will be as given in the attached Schedule.

The papers in all the subjects consist of objective type questions only. The question papers (Test Booklets) in Reasoning Ability, Arithmetic and General Knowledge will be set both in English and Hindi.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answer for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

6. In the question papers, wherever necessary questions involving numerical the Metric System of Weights and measures only will be set.

7. Candidate are not permitted to use calculators for answering objective type papers (Test Booklets). They should not, therefore, bring the same inside the Examination Hall.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

Paper I (a) Reasoning Abillty

Questions in the test of Reasoning Ability will be non-verbal and verbal both. Of the 100 items, 40 items will be of Non-verbal type based on classification, Analogy and series. The remaining 60 items will be of verbal type based on Letter/Number series, Letter/Number Word Analogy, Number/Letter/Word classification, Coding and Decoding, problem solving/Finding the rule, special

orientation/special visualisation, statement conclusion/syllogistic Reasoning.

(b) *General Awareness*

Questions in this test will aim at measuring knowledge of current events besides knowledge of general science/social science and their application to the society. This test will also include questions on sports, culture, history, geography, general polity etc. These questions will be such that they do not require a special study of any discipline.

Paper II

(a) *Arithmatic*

This test will include questions on problems relating to percentages, ration and proporations, averages, estimation, use of table and graphs, mensuration, time and distance, ration and time etc.

(b) *Language I (General English)*

Questions in this test will be based on error recognition, fill in the blanks (using verbs, prepositions articles, adverbs etc.,), vocabulary, spellings, sequence of sentences in a paragraph sequence of words in a sentence, cloze passage and comprehension passages etc. Synonyms and antonyms will be ased in the context of the given passage. The standard of questions will be only of the 10+2 level.

Language II (General English and Hindi)

Questions in this test will consist of 50 per cent questions in General English as in Language I and 50 per cent questions in Hindi. Questions in Hindi will be designed to test candidates understanding of the language and correct use of all words, phrases and idioms, ability to write Language correctly, precisely and effectively.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Service/Posts to which recruitment is being made through this examination.

(i) Indian Foreign Service (B) :—All posts of Assistants in the Ministry of External Affairs and in Indian Diplomatics Counsular Missions and Posts abroad, and a few posts of Assistants in the Ministry of Commerce and included in Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B). The various grades in the General Cadre of Indian Foreign Service (B), excluding Grades lower than Grade IV, are as follows :

Grade	Designation	Scale of Pay
Grade	Under Secretaries at HQRs First and Second Secretaries in Missions and posts abroad.	3000-100-3500-125-4500/-.
Integrated Grade-II & Grade-III . .	Attache and Section Officer at HQRs, Vice-Consuls and Registrars in Missions and Posts abroad.	2000-60-2300-EB-75-2900-100-3500/-.
Grade IV	Assistants at HQRs, and in Missions and Porsts abroad.	1640-60-2600-EB-75-2900/-.

2. Persons recruited direct to Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the courses of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Person appointed to the Indian Foreign Service(B) will have no claim to be appointed to posts including in the Cadre of the Central Secretariat Service or any other Service. Further, all such persons will be liable to serve in any posts either in India or abroad to which they may be posted.

5. During service abroad, IFS(B) officials, are granted foreign allowance in addition to their basic pay, at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961, as made applicable to IFS(B) officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.

(ii) Medical Attendance facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme;

(iii) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules;

(iv) Return Single Air Passage to India and back to the place of duty abroad upto a maximum of two throughout the officers' service for emergencies such as death or serious illness of a near relation in India as may be defined by the Government;

(v) Annual return air passage for children between the ages of 6 and 12 studying in regional educational institution in India to visit parents during vacation subject to certain conditions;

(vi) Expenditure on education of children upto a maximum of two children between the ages of 5 and 18 studying at the place of posting abroad of the officer is met by the Govt. subject to certain conditions; and

(vii) Outfit allowance Rs. 2000/- per posting abroad subject to maximum of 8 occasions during the entire career.

6. All Officers appointed to the IFS(B), will be subject to the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment Cadres, Seniority and Promotion) Rules, 1964 and also to other rules and regulations which the Government may herafter frame and make applicable to there service.

7. Persons appointed to Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the IFS(B) will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the provisions contained in the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964.

NOTE : In accordance with the Indian Foreign Service (Recruitment) Cadre, Seniority and Promotion Rules, 1964, a limited quota is available to officers in Grade I of the Indian Foreign Service (B) for promotion to the Senior scale of the Indian Foreign Service (A) in the scale of pay of Rs. 3200—100—3700—125—4700.

(ii) The Railway Board Secretariat Service—The Railway Board Secretariat Service has at present 4 grades as follows :—

1. Selection Grade (Deputy Secretary or Equivalent) Rs. 3700—125—4700—150—5000.

2. Grade I (Under Secretary or equivalent)—Rs. 3000—100—3500—125—4500.

3. Section Officers Grade Rs. 2000—60—2300—EB—75—3200—100—3500.

4. Assistants Grade Rs. 1640—60—2600—EB—75—2900.

Persons recruited direct as Assistant will be on probation for a period of 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Govt. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

On conclusion of the period of probation the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

Persons recruited to Assistants' Grade of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

The Railway Board Secretariat Service is confirmed to the Deparatment of Railways and Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the case of the Central Secretariat Service.

Officers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules :—

(i) will be eligible for pensionary benefits, and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that Fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they joined the service.

The Candidates appointed to the Railway Board Secretariat Service will be entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders in accordance with the orders issued by the Railway Board from time to time.

As regards leave and other conditions of service, staff including in the Railway Board Secretariat Service are treated in the same way as other Railway staff but in the matter of medical facilities they will be governed by rule applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

(iii) Central Secretariat Service :—The Central Secretariat Service has at present four grades as follows :—

(1) Section Grade (Deputy Secretary or equivalent) Rs. 3700-125-4700-150-5000/-.

(2) Grade I (Under Secretary or equivalent) Rs. 3000-100-3500-125-4500/-.

(3) Section Officers Grade Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500/

(4) Assitants Grade Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of the Government been unsatisfactory he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the Central Secretariat Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Service. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants Grade of the Central Secretariat Service in pursuance of their opinion for that Service will not, after such appointment have any claim for transfer or appointment to any post included in any other cadre.

(iv) The Armed Forces Headquarters Civil Service :—The Armed Force Headquarters Civil Service has at present five Grades as follows :—

Grade and Scale of Pay

(1) Director—Rs. 4500-150-5700.

(2) Selection Grade (Joint Dir. or Senior Civilian Staff Officer) (Group A)—Rs. 3700-125-4700-150-5000.

(3) Civilian Staff Officer (Group A)—Rs. 3000-100-3500-125-4500.

(4) Assistants Civilian Staff Officer (Group B Gazetted) —Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.

(5) Assistants—Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900.

(2) Persons recruited direct as Assistant will be on probation for period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharged of the probationer from services.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Gevernment been unsatisfactory he may be either discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4)Assistants recruited to the AFHQ Civil Service will be posted to one of the Service Headquarters or Inter Service Organisations, participating in the AFHQ Civil Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Headquarters or office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistant Grade or the Armed Forces Headquarters Civil Service will not, after such appointment have any claim for transfer or appointment to post not included in that service.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1992
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1992